रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2003/भाद्र 18, 1925

No. 431] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2003/BHADRA 18, 1925

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2003

सा.का.नि. 716(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2000 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2000 के नियम 3 के उपनियम (iii) में, "अध्यक्ष और सदस्य अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने का हकदार होगा जो अभिदायी भविष्य निधि, 1962 द्वारा शासित होगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अध्यक्ष और सदस्य भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने का हकदार होगा, जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अभिदायी भविष्य निधि) नियम, 2003 द्वारा शासित होगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 10/12/2001-आरईएसटीजी]

पी. के. तिवारी, उप सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र सा.का.नि. 566(अ), तारीख 27 जून, 2000 को प्रकाशित किए गए तत्पश्चात् सा.का.नि. 290(अ) तारीख 24 अप्रैल, 2001 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2003

G.S.R. 716(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of Sub-section (2) of Section 35 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules further to

amend the Telecom Regulatory Authority of India (Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and whole-time Members) Rules, 2000, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Telecom Regularoty Authority of India (Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and whole-time Members) Amendment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Telecom Regulatory Authority of India (Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and whole-time Members) Rules, 2000, in rule 3, in sub-rule (iii), for the words and figures "the Contributory Provident Fund which shall be governed by the Contributory Provident Fund Rules, 1962", the words, brackets and figures "the Telecom Regulatory Authority of India Contributory Provident Fund which shall be governed by the Telecom Regulatory Authority of India (Contributory Provident Fund) Rules, 2003" shall be substituted.

[F. No.10/12/2001-Restg.]

P. K. Tiwari, Dy. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* G.S.R. 566(E), dated the 27th June, 2000 and subsequently amended *vide* G.S.R. 290(E), dated the 24th April, 2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.